न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 110/2022 (RCMS : 2022/159)

कुन्दन सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर — प्रतिवादी प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
2. बलवीर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर —वादीगण अप्रार्थीयान
3. ज्ञान सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
4. ठरो बाई पत्नी प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
5. बलजीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
6. गुरमीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
7. मंगत सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
8. अमरजीत सिंह पत्नी केहर सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
9. किशना बाई पुत्री केहर सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
10. नानक सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
12. छिन्द्र कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
13. ज्ञानो पत्नी लददा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
14. पालो बाई पत्नी जरनैल सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
15. भगवान सिंह पुत्र संता सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
16. पप्पु सिंह पुत्र संता सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

17. ओंकार सिंह पुत्र संता सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धूनर तहसील करणपुर जिला, श्रीगंगानगर
18. उपतहसीलदार, राजस्व केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरणपुर

— **प्रतिवादीगण अप्रार्थीयान**

19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी, अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 एवं 12 की ओर से श्री ओमप्रकाश बतरा एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह बानर उपस्थित है एवं शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर में चक 9 एस''ए'' तहसील करणपुर के खाता संख्या 36/29 मु.नं. 21 की 6.070 हे. भूमि के सम्बन्ध में एक दावा एवं एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को तलब किये बिना, उसी रोज दिनांक 12.05.2022 को ही स्थगन आदेश जारी कर दिया, जिस पर प्रार्थी को पता चलने पर उसके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील पेश की, जो कि मुकद्दमा नम्बर 60/2022 पर दर्ज किया जाकर स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2022 को जारी किया गया।

उनका आगे कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर में उक्त मुकद्दमा में गत पेशी दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थी पैरवी के लिए गया हुआ था, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 [illegible] थे तथा मिलने पर उन्होनें स्पष्ट कहा कि हमने पीठासीन अधिकारी को राजनैतिक अपरौच करवा रखी है तथा दावा का फैसला हमारे हक में होगा जैसा कि दावा पेश करने के रोज ही स्थगन आदेश भी जारी किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि प्रार्थी के मुकदमा में आवाज होने पर उसके पेश होने पर पीठासीन अधिकारी का रवैया भी पक्षपातपूर्ण लगा क्योंकि बडी मुश्किल से आगामी पेशी दी गई, इस प्रकार अप्रार्थीगण 1, 2 जो कि वास्तव में राजनैतिक प्रभावी वाले व्यक्ति के स्थगन की पुष्टि हुई है, इन हालात में प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए मुकदमा को मुंतकिल करवाना चाहता हूँ क्योंकि मुकदमा यदि पीठासीन अधिकारी के पास रहा तो प्रार्थी न्याय से वंचित होगा। इसलिए प्रार्थी की पत्रावली को मुंतकिल किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 9 एस 'ए' तहसील श्रीकरणपुर खाता संख्या 36/29 मुरब्बा नम्बर 21 की 6.070 हैक्टेयर भूमि निहाल सिंह पुत्र श्री सौदागर सिंह को जीवों के आधार पर अलॉट की गई थी। निहाल सिंह का स्वर्गवास हो गया है जिसके 8 लड़कें व 4 लडकियां थी। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत समस्त लडकों व लडकियों का बराबर हिस्सा बनता है। कुन्दन सिंह जो निहाल सिंह का लड़का है इसने फर्जी वसीयत बनाकर इस फर्जी वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवाने की कोशिश की तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपजिलाधीश श्रीकरणपुर के समक्ष एक वाद धारा 88, 188, 92ए के तहत प्रस्तुत किया व वाद के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति रखी जावे, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक रूप [illegible]ी निषेधाज्ञा दिनांक 12.05.2022 को स्थगन आदेश आगा[illegible]या।

उनका आगे कथन है कि अप्रा[illegible] दिनांक 12.05.2022 के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील करके एकतरफा तौर पर स्थगन आदेश पारित करवा लिया जिसमें अब दिनांक 26.07.2022 तारीख पेशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुकर्रर है और यह कहना सरासर गलत है कि अप्रार्थीयान का कोई राजनैतिक दबाव है तथा दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थी, अप्रांर्थीयान से नहीं मिला। वर्तमान में प्रकरण तलबी में चल रहा है, जिसका फैसला होने की अभी कोई संभावना नहीं है। इसलिए प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है बिल्कुल गलत प्रस्तुत किया है।

उनका आगे कथन है कि प्रार्थी ने दिनांक 14.06.2022 को स्थगन आदेश का जवाब पेश करना था लेकिन उसने जवाब पेश ना करके आगे तारीख मांगी, न्यायालय द्वारा उसे आगे तारीख दे दी। यह कहना सरासर गलत है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीयान के प्रभाव में हो, बल्कि जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत ही अदालत द्वारा कार्यवाही की जा रही है बल्कि प्रार्थी अप्रार्थीयान को परेशान करने के लिए भिन्न भिन्न न्यायालयों में अलग-अलग कार्यवाही कर रहा है। अप्रार्थीगण को यदि किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसे अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, इसलिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण महेन्द्र सिंह एवं बलवीर सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा 53, 88, 188 आरटीए का प्रकरण अनवानी महेन्द्र सिंह वगै. बनाम कुन्दन सिंह उर्फ पूर्ण सिंह वगै. को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, करणपुर से टिप्पणी आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इस[illegible] को दावा 53, 88, 188 आरटीए के प्रकरण के गुण दोष[illegible] इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में वि[illegible]राधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी कुन्दन सिंह पुत्र निहाल सिंह द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का पेश करने की दिनांक को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था और पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:18 IST
Reason: SelfAttested